न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बिजौलियॉ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

तारीख दायर 29/4/22

प्रकरण संख्या :– 109/22

रतनलाल पिता प्यारचन्द जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी देरोली तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थी

बनाम

1– ममता देवी पत्नि मदनलाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी उमा जी का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा राज0

2– हरिशंकर पुत्र नन्दलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गोविन्दनिवास तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा राज0

3– होकमीचन्द पुत्र नन्दलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गोविन्दनिवास तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा राज0

4– शंभुलाल पिता प्यारचन्द जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी गोविन्दनिवास तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा राज0

––विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 रा0ले0रे0 एक्ट

दिनांक

–:आदेशः–

प्रार्थनापत्र **प्रार्थी श्री रतनलाल अहीर** ने जरिये अभिभाषक **श्री सुनील बाकलीवाल** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम** गोविन्दनिवास, **पटवार क्षैत्र उमा जी का खेडा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र उमा जी का खेडा, तहसील बिजौलियॉ में स्थित खाता संख्या 80 आराजी नंबर 348 रकबा 0.9389 हैक्टेयर भुमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2075 से 2078** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम गोविन्दनिवास, पटवार क्षैत्र उमा जी का खेडा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र उमा जी का खेडा, तहसील बिजौलियॉ में स्थित खाता संख्या 80 आराजी नंबर 348 रकबा 0.9389 हैक्टेयर भुमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि ..../– रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ